संख्या-2453/14-2-2015-800(43)/2015

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

अनुभाग-2 लखनउ, दिनांक, 04 नवम्बर 2015

विषय:- जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-719(719 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92) के किमी0 59.900 से 69.850 तक एस0 एस0 पी0 चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5073 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सख्या-525/11-सी-इटावा दिनांक 02-9-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-719(719 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92) के किमी0 59.900 से 69.850 तक एस0एस0पी0 चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5073 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति एवं विधिवत स्वीकृति निर्गत की गयी हे, परन्तु आपके कार्यालय पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2015 के माध्यम से केवल सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत किये जाने की सूचना अंकित करते हुये विषयगत प्रकरण में विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये अग्रेतर कार्यवाही हेतु अपनी सुस्पष्ट आख्या (संस्तुति सहित) शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

B Singh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।